

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाइ द्वारा अध्यासित)
प्रा०पत्र संख्या :-232/2018
निर्णय दिनांक :-17.12..2018

उनवान

1. रामकिशन पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
2. गायत्री देवी पुत्री बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
3. शांति देवी पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
4. सुशीला बेवा रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
5. श्रवण पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
6. आशीष पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
7. अनुराग पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
8. विजय लक्ष्मी पुत्री रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक

-प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाइ
2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
4. अवधेश कुमार पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
5. रामगोपाल पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
6. शैलेन्द्र पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
7. योगमाया पुत्री स्व. श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
8. धापू पुत्री स्व. श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक
9. प्रतिभा पुत्री स्व. श्री मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा निवाइ तह. निवाइ जिला टोंक

-प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.
आराजी खसरा नम्बर 1399 व 1400 को
रिसीवरी से मुक्त करने बाबत्।

उपस्थित:- श्री महेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण
श्री रामावतार शर्मा वकील प्रतिपक्षीगण 2ता3
श्री गिरधर सिंह तंवर वकील प्रतिपक्षीगण 4ता9

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख.नं. 1399 व 1400 जो माननीय सहायक कलेक्टर मुख्यालय टोंक द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 04.1.1988 जिसकी प्रकरण संख्या 126/87 में दिये गये हैं जिसके द्वारा तहसीलदार निवाइ को रिसीवर नियुक्त किया गया था उसकी अपील किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा अतिरिक्त कलेक्टर टोंक ने उक्त रेफरेन्स नं. 236/1983 को दिनांक 05.7.1993 को स्वीकार कर लिया तथा आराजी ख.नं. 1396 रकबा 01-06 बीघा, ख.नं. 1397 रकबा 0-03 बीघा, ख.नं. 1398 रकबा 01-10 बीघा, ख.नं. 1401 रकबा 01-18 बीघा, ख.नं.

1402 रकबा 02-06 बीघा, ख.नं. 1403 रकबा 02-15 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 09-18 बीघा को ही मन्दिर श्री शालिगराम जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात ख.नं. 1399 व 1400 को तहसीलदार निवाई को उक्त खसरा नम्बर का रिसीवर है से मुक्त करके कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द करवाये जाने के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में मान्य न्यायालय द्वारा पारित करना न्यायसंगत है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण 2 ता 9 जरिये प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होकर पक्षकार बने है। पत्रावली में अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में होने पर पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर भेजी गयी। राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी नहीं चलाये जाने पर पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा में प्राप्त हुयी। पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी। उभयपक्षकारान ने प्रा.पत्र शीघ्र सुनवाई मय राजीनामा पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुयी। उभयपक्ष सहमत है कि ख.नं. ख.नं. 1399 व 1400 वाके कस्बा निवाई प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः रिसीवर से मुक्त कर दिया जावे। माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक राज0 में वादवर्णित खसरा नम्बरान के संबंध में वर्णित वाद में प्रस्तुत राजीनामा में भी अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट का हिस्सा स्पष्ट किया जा चुका है।

अतः उभयपक्षों की सहमति व प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कर प्रा.पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. आराजी खसरा नम्बर 1399 व 1400 को रिसीवरी से मुक्त करने बाबत् स्वीकार किया जाता है। ख.नं. 1399 व 1400 वाके कस्बा निवाई को रिसीवर मुक्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निवाई उक्तानुसार पालना करें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/18
उपखण्ड अधिकारी अदित्य
निवाई (अ.द.स.प.स.)क
उपखण्ड अधिकारी निवाई